

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2025/43)

प्रकरण संख्या:-28/2025

तारीख दायर:- 19/02/2025

निर्णय दिनांक:-15/10/2025

उनवान

1. नारायण सिंह पिता लालसिंह जाति राजपुत निवासी सांसरिया तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थी।

बनाम

1. दुर्जनसिंह पिता जीवनसिंह जाति राजपुत निवासी सांसरिया तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. गोविन्दसिंह पिता जीवनसिंह जाति राजपुत निवासी सांसरिया तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. उँकारसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपुत निवासी सांसरिया तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. सोहन पिता धन्ना जाति कलाल निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
5. कालू पिता मनरूप जाति कलाल निवासी महासिंह जी का खेडा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956
:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांसरिया पटवार सर्कल जीरण तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 50 खसरा संख्या 323, 328, 347, 348, 349/1 कुल किता 05 कुल रकबा 2.8600 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बोते समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।



उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 एवं 05 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 एवं 05 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 04 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने हेतु निवेदन किया। अतः अप्रार्थी संख्या 04 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप के आदेश दिए गए।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सांसरिया पटवार सर्कल जीरण तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 50 खसरा संख्या 323, 328, 347, 348, 349/1 कुल किता 05 कुल रकबा 2.8600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



21/10/15
15/10/15
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)